SHRI S. MADHAVAN: Sir, this is a long-standing problem which has not been solved in Tamil Nadu. We are getting more foreign exchange earnings from these small tanneries. Will the Government of India take it up with the State Pollution Control Board which has already formulated a new scheme with a new technology, at less cost because small scale tanneries's financial inability is a problem in setting up effluent treatment plants? Will the Government of India formulate new technology to help the small tanneries, increasing the subsidy as suggested by the State Pollution Control Board?

SHRI KAMAL NATH: Sir, I entirely agree with the Member that these tanneries are earning us a lot of foreign exchange and we have been in dialogue with the State Pollution Control Board. I myself visited Tamil Nadu and I have been assessing the work being done by the Tamil Nadu Pollution Control Board. We are in constant interaction. I have held meetings with the Ministers concerned and we shall certainly consider any scheme which is economically viable and environmentally friendly which the Tamil Nadu Pollution Control Board gives us. And if it meant financing, if it means modifying the existing scheme, we shall certainly consider this in the light of the importance of tanneries, both from the foreign exchange element point of view and from employment point of view.

"बरगी डाइवर्शन दांयी नहर"

*†303. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बेकल "उत्साही" :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बरगी डाइवर्शन दांयी नहर के निर्माण का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार परियोजनाओं को लागू करने में विलम्ब को रोकने के लिए वर्तमान पर्यावरण नीति में संशोधन करके नहर निर्माण, सड़क निर्माण और पारेषण लाइनों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दिए जाने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का विचार रखती है ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. The State Government is yet to furnish material information required for the disposal of the proposal. On receipt of the details, the case will be processed expeditiously.

(c) While no sanction is required to be issued by this Ministry for construction of canals, roads etc. it has been decided to delegate further powers to the Regional CCFs of this Ministry for granting clearance for such projects under the Forests (Conservation) Act.

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, 566 करोड़ की बरगी बहुद्देश्यीय परियोजना मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे सिंचाई भी होगी, विद्युत का उत्पादन भी होगा और मध्य प्रदेश का जो मध्यक्षेत्र है—जबलपुर के आसपास कटनी, सतना तक उसको भी इसका लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, इस परियोजना का अनुमोदन सितंबर, 1989 में सी०डब्ल्यू०सी० और एडवायजरी बोर्ड ने किया था और उसमें यह शर्त लगाई गई थी कि पर्यावरण की अनापत्ति भी प्राप्त कर ली जावे । तब से अब तक तीन वर्ष व्यतीत हो गए हैं और पर्यावरण की अनापत्ति इस परियोजना के लिए प्राप्त नहीं हो सकी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह पर्यावरण की अनापत्ति प्राप्त होने के लिए

†सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया ।

आपने जो अगस्त, 1990 में एक पर्यावरण परियोजना बनाकर राज्य-शासन को दी थी, उसके अंतर्गत राज्य-शासन को कौन-कौन सी औपचारिकताओं की पूर्ति करनी थी, कौन-कौन सी योजनाएं बनाकर देनी थीं ? उनमें से कौन-कौन सी औपचारिकताएं राज्य-शासन ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की हैं और कौन-कौन सी पूरी नहीं की है ? उनको कितनी बार आपने स्मरण दिलाया है और कितनी बार स्मरण दिलाने के बाद भी इन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और तीन वर्ष से यह परियोजना इस तरह से केवल राज्य सरकार के द्वारा औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण लम्बित पड़ी हैं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा...

श्री सभापति : छोटा-छोटा कर दीजिए।

श्री अजीत जोगी : कि जिस तरह बरगी परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा विलम्ब हो रहा है, क्या अन्य भी योजनाएं हैं जिनमें राज्य सरकार इस तरह से विलम्ब कर रही हैं।

SHRI KAMAL NATH: Sir, there are two kinds of clearances that are required. One is clearance under the Forest Conservation Act and the other is environmental clearance under the environmental legislation.

MR. CHAIRMAN: You are Minister for both.

SHRI KAMAL NATH: I am Minister for both fortunately. Sir, the Government of Madhya Pradesh had submitted a proposal seeking approval of the Central Government under the Forest Conservation Act for diversion in the case of this project for 685.286 hectares of forest land for the construction of a canal system of the Bargi Diversion Project. The Right Canal Project which is mentioned in this question is part of this project. The Bargi Diversion Right Canal is part of the Bargi Diversion Project of the Narmada Development Authority in Jabalpur, Satna and Rewa districts. This was submitted in November 1991, that is, permission was sought under the Forest Conservation Act only in November 1991.

MR. CHAIRMAN: Better you clear that one.

SHRI KAMAL NATH: Sir, I am coming to that. Some information was asked immediately on 17th of December 1991 from the State Government—some material information about the compensatory forest land. No reply was received. The Regional Office of my Ministry, the Chief Conservator of Forests of our Regional Office, has also requested the State Government to conduct an inspection and our Regional CCF is also requested to conduct an inspection. This information is awaited both from the State Government and the Regional CCF and when they come they will be considered. With regard to the environmental clearance, the Bargi Diversion Project was submitted by the Madhya Pradesh Irrigation Department in March 1987 and was rejected due to non-submission of requisite environmental data and other plans. The revised plans were again submitted in November 1990 and had been looked into. There were some missing data and some other details required were not submitted and have not yet been submitted. For non-submission of these details this environmental clearance has been rejected.

श्री अजीत जोगी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के "ग" उपखंड से संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का पर्यावरणीय महत्व तो बहुत है किन्तु इसका एक दूसरा नकसान यह है कि इसके कारण विकास के छोटे-छोटे कार्य भी...

श्री सभापति : आप प्रश्न पर्यावरण पर ही कर लो।

SHRI AJIT P. K. JOGI: This is part (c) of my question, Sir. छोटे-छोटे विकास के काम भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की मंजूरी न मिल

के कारण रुक जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे काम, विशेषकर आदिवासी इलाकों में जहां जंगल बहुत हैं और छोटे-छोटे कामों के लिए भी हमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र शासन तक आना पड़ता है। मैं यह जानता हूं कि बस्तर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां केवल पीने के पानी का एक हैंड पम्प लगना है, लेकिन वह इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उसकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या... (व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें लिखा है, उनका जवाब आप पढ़ लें। जवाब में लिखा हुआ है

While no sanction is required to be issued by this Ministry for construction of canals, roads etc., it has been decided to delegate further powers to the Regional CCEs of this Ministry for granting clearance for such projects under the Forest (Conservation) Act.

श्री अजीत जोगी : वही मैं पूछ रहा हूं, सर।

श्री सभापति : उतना ही पूछ लो, भूमिका बहुत लम्बी बांध दी।

श्री अजीत जोगी : जो आपने विकेन्द्रीयकरण किया है रीजनल कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट को, उससे जिले के स्तर पर समस्या का हल नहीं होगा। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत अनापत्ति देने का अधिकार क्या आप जिला स्तर पर जिलाधिकारी को या कमिश्नरी के स्तर पर कमिश्नर को या कोई कमेटी बनाकर देंगे, जिससे आदिवासी इलाकों में उनका हल जल्दी हो सके?

श्री सभापति : बस, वह समझ गये। आप जवाब दे दीजिये।

SHRI KAMAL NATH: Sir, this impression is wrong that proposals for hand-pumps, school buildings and small things like this have to come to Delhi. This was never so.

श्री राम अवधेश सिंह : हिन्दी का जवाब हिन्दी में दीजिये?

श्री सभापति : अब आप नया प्रोब्लम मत खड़ा करिये।

श्री कमल नाथ : सर, ऐसी बात कभी थी नहीं।

एक हेक्टेयर तक स्वीकृति स्टेट लेवल पर होती है। इन छोटी-छोटी योजनाओं के लिये हमारे जो रीजनल चीफ कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट हैं, उनको पूरा अधिकार है। तो यह जो एक वातावरण बना हुआ है, माहौल बना हुआ है कि यह सब दिल्ली आता है और दिल्ली से इसकी छोटी-छोटी हैण्ड पम्प के लिये और स्कूल के लिये उसकी स्वीकृति होती है, यह गलत है। फिर भी मैंने वन मंत्रियों का जब अधिवेशन किया था, उसके बाद हमने यह निर्णय लिया है कि रीजनल कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट को 5 हेक्टेयर की पॉवर देने का अधिकार दे रहे हैं और 5 से 20 हेक्टेयर के लिये एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो रीजनल चीफ कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट को अपना प्रपोजल देगी, तब स्टेट एडवाइजरी कमेटी के बाद यह यहां भेजा जायेगा।

श्री अजीत जोगी : जिला और कमिश्नरी लेविल पर देने के बारे में मैंने अनुरोध किया था।

श्री कमल नाथ : सर, अब यह पंचायत लेविल तक तो आ नहीं सकता।

श्री सभापति : श्री दवे।

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, . . .

श्री सभापति : सॉरी, श्री बेकल "उत्साही"

श्री बेकल "उत्साही" : हुजूरे आला, जब आप मुझे भूल ही गये... (व्यवधान)

†[شری بیکل اتساهی: حضور والا جب آپ مجھے بھول ہی جائیں..

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आपको कौन भूल सकता है ।

श्री बेकल "उत्साही" : मझे पूछना तो बहुत कुछ था, मगर अब कुछ नहीं पूछना है ।

†[شری بیکل اتساهی : مجھے پوچھنا تو بہت کچھ تھا - مگر اب کچھ نہیں پوچھنا ہے -]

श्री सभापति : आप कल आ जाइये ।

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो बताया कि 5 हैक्टेयर तक वह पॉवर दे रहे हैं, अभी कुछ दिया तो नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो बड़ी योजना हैं, जैसे नर्मदा योजना, उनकी कैनाल मंजूर हो गयी है । उसमें जो दो हेक्टेयर जमीन आ रही है, आगे की कैनाल मंजूर है, पीछे फॉरेस्ट में नहीं आ रही है, बीच वाली जो दो एकड़ जमीन है, उस जमीन की मंजूरी आज दिन तक... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : यह बरगी से सम्बन्धित है ?

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : मैं एक इंस्टेंस दे रहा हूं ।

श्री सभापति : इंस्टेंस नहीं, आप प्रश्न कर लीजिये ?

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो कमेटी बनायेंगे, उसमें कोई समय-सीमा निश्चित करेंगे कि इस निश्चित समय में जो प्रपोजल आपके पास आयेगा, वह उसमें तय किया जायेगा । इसलिये कोई समय मर्यादा आप बनायेंगे ?

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री कमलनाथ : सर, 5 हेक्टेयर तक तो कमेटी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं ।

श्री कमल नाथ : 5 से 20 हेक्टेयर तक के लिये एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनायी जायेगी जिसके प्रतिनिधि उस विभाग के सदस्य होंगे, प्रोजेक्ट ऑथारिटी के सदस्य होंगे, ताकि उनकी जो राय है, जो उनकी समस्या है, जो उनकी जानकारी है वह रीजनल चीफ कन्जरवेटिंटर आफ फारेस्ट को प्राप्त हो सके । 20 हेक्टेयर से अधिक की जो योजनाएं हैं, वह दिल्ली आयेंगी और यदि वह पूरी जानकारी के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ आती है तो उसमें तीन महीने से ज्यादा नहीं लगते । तो ऐसा कोई नियम बनाना कि इसकी कोई समय की सीमा बांधी जाये, मैं आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : क्योंकि बहुत सालों निकल जाते हैं इसलिये मैं समय-सीमा चाहता हूं ।

श्री कमल नाथ : सर, मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत समय लगता है ... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : सालें निकल जाते हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : कोई गैर हिंदी भाषी अगर हिंदी का प्रयास करे तो हिंदी भाषियों को उस पर हंसना नहीं चाहिए ... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : यह हिंदी भाषी हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : गैर हिंदी भाषी कैसे हुए ?

श्री प्रमोद महाजन : अंग्रेज भाषा हिंदी नहीं है ... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : मंत्री जी आपको सवाल पर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो बैठ जाइए ।

श्री कमल नाथ : सर, मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें कई दफा बहुत समय लगा है । इसमें कोई शक नहीं है बहुत समय लगा है पर यह समय लगा है क्योंकि राज्य सरकार ने जो डिटेल्स दी, जो आवश्यकता थी प्लांस की, नक्शे की, वह समय पर नहीं भेजी ।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में स्वीकारा कि बरगी हाइवर्शन कैनाल के संबंध में अपेक्षित जानकारी उन्हें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्राप्त नहीं हो पाई है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों में जो वन मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें क्या मध्य प्रदेश के संबंधित मंत्री ने इस कैनाल के संबंध में इस मुद्दे को उठाया ? यदि उठाया तो केंद्रीय सरकार की तरफ से उसमें क्या अड़चन आई ? साथ ही फारिस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 के तहत जो पावर रीजनल आफिस को देने की बात मंत्री जी ने अपने उत्तर में की है, मैं उसके संबंध में जानना चाहूंगा कि पहले इनके जो क्षेत्रीय वन अधिकार थे उनके क्या अधिकार थे? अब इस एक्ट के तहत जो पावर्स दिए गए हैं, अब क्या-क्या अधिकार हो जायेंगे ? साथ ही 5 से 20 हैक्टेयर तक के लिए जो इन्होंने स्टेट लेवल कमेटी का जिक्र किया है, उसमें कौन-कौन सदस्य रहेंगे और उन्हें क्या-क्या अधिकार प्राप्त होंगे तथा क्या इससे वनों की हानि नहीं होगी ?

श्री सभापति : मंत्री जवाब दीजिए ।

श्री कमल नाथ : सर, अभी जो हाल में ही वन मंत्रियों की कांफ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने इस योजना का जिक्र नहीं किया था ।

श्री सुरेश पचौरी : यह बहुत अफसोसजनक बात है ।

श्री सभापति : आप उनको बोलने दो तीसरे सवाल में 52 मिनट निकल गए .. **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : सच्चाई सुनकर क्यों कष्ट होता है आपको .. **(व्यवधान)**

श्री सभापति : तशरीफ रखिए आप । आप जरा जवाब दीजिए और आगे चलिए ।

श्री कमल नाथ : सर, इसका जिक्र नहीं किया गया था । जो नए आधिकार दिए गए हैं, रीजनल चीफ कजवेटर आफ फारेस्ट को पांच हैक्टेयर के, इसका निर्णय ले लिया गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है, अभी तक हुआ नहीं है । मुझे विश्वास है कि अगले महीने भर में यह नोटिफिकेशन निकल जाएगा ।

जहां तक स्टेट एडवाइजरी कमैटी के सदस्यों की बात है, उस कमैटी में जो 5 हैक्टेयर और 20 हैक्टेयर की होगी, उसमें होंगे—रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो यूजर एजेंसी है और मुझे विश्वास है, सर, कि इसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन जरूर किया है पर लिब्रलाइजेशन नहीं किया है । तो इसमें जंगल की हानि नहीं होगी ।

श्री सभापति : मौलाना आजमी ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : शुक्रिया सदरे मोहतरम ।

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی : شکریہ صدر محترم -]

श्री सभापति : सवाल कर लीजिए जल्दी से ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जो अख्तियारात इलाकाई यूनिटों को देने की बात है तो उस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सुबाई हुकूमतें उसमें इंटरफियर न करें, सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†[] Transliteration in Arabic Script.

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی:
میں آپکے مادھیم سے سرکار سے جاننا چاہونگا کہ جو اختیارات علاقائی یونٹوں کو دینے کی بات ہے تو اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ صوبائی حکومتیں اسمیں انٹرفیر نہ کریں - سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے-]

MR. CHAIRMAN: He is asking as to what you are doing to see that the State Governments do not delay... (*Interruptions*)...

श्री कमल नाथ : सर, इसमें हमारे पास कोई दवाई या इलाज नहीं है कि राज्य सरकार इसमें डिले न करें ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : सर, मैं डिले की बात नहीं पूछ रहा हूं । मैं यह पूछ रहा हूं कि इलाकाई यूनिटों को जो अख्तियार दिया गया है, उसमें सुबाई हुकूमतें इंटरफियर न करें, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है । मुझे बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तानी जबान को हमारे मिनिस्टर नहीं समझते ... (**व्यवधान**) क्या इंग्लिस्तान की जबान समझना जरूरी है ?

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی :
سر میں ڈلے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں - میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ علاقائی یونٹوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اسمیں صوبائی حکومتیں انٹرفیر نہ کریں - اس بات کو یقینی بنانے کیلئے ہماری سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے - مجھے بہت افسوس ہے کہ ہندوستانی زبان کو ہمارے منسٹر نہیں سمجھتے ... (مداخلت) .. کیا انگلستان کی زبان سمجھنا ضروری ہے -]

श्री कमल नाथ । आप जरा फिर से बोलिए ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : इंग्लिस्तान की जबान हिंदुस्तान में बोले बगैर काम नहीं चल सकता क्या ?

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :
انگلستان کی زبان ہندوستان میں بولے بغیر کام نہیں چل سکتا کیا -]

श्री सभापति : वे कह रहे हैं कि – As regional offices are also concerned, will you take steps so that the State Governments do not interfere? That is all. It is a simple question that he is asking... (*Interruptions*)...

श्री कमल नाथ : मैंने इसका जवाब तो दे दिया ।

श्री सभापति : आपने नहीं दिया । स्टेट गवर्नमेंटस उसमें दिक्कत न डालें, इसको क्या आप देख रहे हैं, आपकी रीजनल कमटीज के काम में, यह सवाल उनका छोटा सा ।

श्री कमल नाथ : सर, यह तो कानून इसका बना हुआ है, नियम इसके बने हुए हैं । राज्य सरकार इसमें ... (व्यवधान)

श्री सभापति : मतलब यह कहें कि इनडिपेन्डेंट काम कर सकेंगे ।

श्री कमल नाथ : वह इंडिपेंडेंट काम करेंगी । वह तो करती हैं ... (व्यवधान)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : सुबाई हुकूमतें उनके काम में इंटरफियर करती हैं । इस काम को सुबाई सरकार के इंटरफियर से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

†[] Transliteration in Arabic Script.

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی:

صوبائی حکومتیں انکے کام میں انٹرفیر کرتی ہیں - اس کام کو صوبائی سرکاروں کے انٹرفیر سے بچانے کیلئے کیا قدم اٹھا رہے ہیں -]

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि वह देख रहे हैं कि ऐसा न हो ।

मौलाना मोहीउल्ला खान आजमी : अभी जो होता है यह इंटरफियर खुल्लमखुल्ला है या नहीं?हैं? इसी तरह से दूसरी इंटर-फियर दूसरी जगह भी हो, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा इंटरफियर होता है तो हुकूमत उस सिलसिले में क्या कदम उठाएगी . . . (**व्यवधान**)

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی :

ابھی جو ہوتا ہے یہ انٹرفیر کولم کہلا ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے دوسرا انٹرفیر دوسری جگہہ سے ہو - میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا انٹرفیر ہوتا ہے تو حکومت اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائیگی - . . (مداخلت) . .]

Import of oral polio vaccine

304. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange Government are spending annually on the import of oral polio vaccine;

(b) whether there is any proposal to manufacture oral polio vaccine indigenously; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARADEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Oral Polio Vaccine is on the Open General Licence (OGL) list. As per the information furnished by the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, the total foreign exchange out-go on import of vaccines for polio during 1986-87, 1987-88 and 1988-89, (the period for which information is available) was as follows:

Year	Value (Rs. in lakhs)
1986-87	68.84
1987-88	183.94
1988-89	78.51

The Government does not spend any foreign exchange on import of Oral Polio Vaccine for its Universal Immunization Programme, as for this Prgramme the vaccie is procured in the following manner: (i) Purchase from two Indian firms, which are blending the vaccine from the imported bulk; (ii) As commodity assistance from the Rotary International; and (iii) Purchase from a Government Undertaking. M/s Bharat Immunologicals and Biologicals Limited, under the Department of Biotechnology which imports this vaccine against Rupee payment.

The Drug Control authorities have issued licences to the following three companies for manufacture of Oral Polio Vaccine:

1. M/s. Haffkine Bio-Pharmaceuticals Corporation Limited (HBPCL), Bombay.

2. M/s. Radicura Pharma, New Delhi.

†[] Transliteration in Arabic Script.